न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/670

1. याचना पुत्री राधेश्याम, जाति ब्राहम्ण निवासी गनेडी, तहसील नेछवा, जिला सीकर, राजस्थान।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नेछवा, जिला सीकर।

— रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर ने मुकदमा संख्या 586/2021 निर्णय दिनांक 22.11.2021 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम बाबत् प्रकरण नवीन रास्ता अंकन वाके ग्राम गनेड़ी खसरा नम्बर 570, 572 के विरूद्व पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री बंशीधर जाट, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 13.11.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 22.11.2021 के खिलाफ प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 19.04.2022 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021, कैम्प गनेड़ी में पटवारी हल्का गनेड़ी, भू0अ0 निरीक्षक नेछवा की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम गनेड़ी, तहसील नेछवा के आराजी खसरा नम्बर 570 कुल रकबा 1.78 है0 मे से 0.0860 है0 व खसरा नम्बर 572 कुल रकबा 1.15 है0 मे से 0.0400 है0 भूमि रास्ते हेतु दर्ज होकर किस्म परिवर्तित कर दर्ज किया जाना प्रस्तावित किये जाने पर तथा मौके पर रास्ता काफी वर्षो से चलना बताते हुए उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में दर्ज करने हेतु अनुशंषा मय प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार नेछवा के द्वारा कृषि भूमि पर चल रहे/बने रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने हेतु भिजवाये गये प्रस्ताव दिनांक 22.11.2021 के अनुसार ग्राम गनेड़ी, पटवार मण्डल गनेड़ी, तहसील नेछवा जमाबंदी संवत 2076–2079 के आराजी खसरा नम्बर 570 कुल रकबा 1.78 है0 मे से 0.0860 है0 भूमि तथा खसरा नम्बर 572 कुल रकबा 1.15 है0 मे से 0.0400 है0 भूमि रास्ते हेतु दर्ज होकर किस्म परिवर्तित कर उक्त का अंकन संबंधित खातेदार के खाते में राजस्व रिकॉर्ड में पृथक नम्बर दिया जाकर रकबे सहित गैर मुमकिन रास्ते कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने व तदनुसार ही नक्शें में तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये। रिपोर्ट तहसीलदार मय नजरी नक्शा निर्णय के विभिन्न अंग रहेंगे। ऐसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2021 पारित किये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 22.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट याचना पुत्री राधेश्याम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील

स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर दिनांक 22.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के विपरीत पारित किया गया है इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया तथा ना ही न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 570 अपीलान्ट के नाम दर्ज है जिसमें मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता चालू नही है। केवल मात्र भूमि खसरा नम्बर 571 व 572 के खातेदारों ने आपस में तहसीलदार से साठ गांठ कर एक पक्षीय मौका रिपोर्ट बिना अपीलान्ट को सूचित किये ही गलत तरीके से प्रस्तावित करवा दी गई। जिसमें अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी। इस कारण भी निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। संलग्न नजरी नक्शे में सी से डी सम्पूर्ण रास्ता अपीलान्ट के हिस्से में दर्ज कर दिया जबकि सी से डीं के पूर्वी ओर अन्य खातेदारान की भूमि खसरा नम्बर 572 है जिसकी सीमा से गोपाल लाल द्वारा सहखातेदार मांगीलाल को मौके पर रास्ता दे रखा है तथा बी से ई स्थान पर भी रास्ता चालू है। इस प्रकार गलत तरीके से जांच रिपोर्ट तैयार की जाकर उसी दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाकर निर्णय पारित किया गया है जो गलत होने से निरस्तनीय है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राज्य सरकार राजस्व विभाग (राजस्व ग्रुप 6) राजस्थान जयपुर के परिपत्र प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुक्रम में राजस्व रिकोर्ड में आम रास्ता दर्ज करने से सम्बंधित खातेदारों को सुनवाई हेतु तहसीलदार जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपी के साथ सम्मन जारी किया जायेगा तथा खातेदार का पक्ष सुनकर आदेश पारित किया जावेगा। परन्तु इस प्रकार का कोई नोटिस नही दिया गया। इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 में यह आदेशात्मक निर्देश दिये गये है कि पीडित खातेदार की सुनवाई किया जाना आवश्यक हैं। नियत दिनांक से पूर्व पीडित खातेदार को मय फर्द मौका पटवारी हल्का की रिपोर्ट के साथ नोटिस की प्रति भेजी जायेगी। इस नियम की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही करवाई गई इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना किसी प्रार्थना पत्र के दिनांक 20.11.2021 को हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है वह रिपोर्ट दिनांक 22.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है तथा इसी दिनांक को पीडित पक्षकारों को नोटिस जारी किये जाते है। हल्का पटवारी रिपोर्ट में यह उल्लेख नही किया गया कि किस–किस खसरा नम्बर के कौन–कौन पीडित पक्षकार है ना ही आदेशिका में उल्लेख किया गया है कि किन–किन पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये है जो सम्मन नोटिस जारी किये गये है। अपीलाधीन निर्णय न्यायिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही जल्दबाजी में पारित किया गया है इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 570 में से किसी प्रकार का रास्ता चालू नही है ना ही पूर्व में चालू था। तथा तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई है वह रिपोर्ट गलत तैयार कर रास्ता मांगा गया है। उसके बावजूद भी गलत तरीके से अपीलान्ट की भूमि को दर्शाया गया है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य में चल रहे लोक डॉउन के दौरान अपीलाधीन आदेश दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

22.11.2021 को पारित किया गया है जबकि राजस्व मण्डल के द्वारा लोक डाउन की पालना बाबत दिशा निर्देश दिये गये थे। हल्का पटवारी से दिनांक 08.04.2022 को किसान क्रेडिड कार्ड हेतु जमाबंदी की नकल लेने पर दिनांक 18.04.2022 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 22.11.2021 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर बमुकदमा संख्या 586/2021 को निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2021 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 08.04.2022 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021, कैम्प गनेड़ी में पटवारी हल्का गनेड़ी, भू0अ0 निरीक्षक नेछवा की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम गनेड़ी, तहसील नेछवा के आराजी खसरा नम्बर 570 कुल रकबा 1.78 है0 मे से 0.0860 है0 व खसरा नम्बर 572 कुल रकबा 1.15 है0 मे से 0.0400 है0 भूमि रास्ते हेतु दर्ज होकर किस्म परिवर्तित कर दर्ज किया जाना प्रस्तावित किये जाने पर तथा मौके पर रास्ता काफी वर्षो से चलना बताते हुए उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में दर्ज करने हेतु अनुशंषा मय प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर को भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार नेछवा के द्वारा कृषि भूमि पर चल रहे/बने रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने हेतु भिजवाये गये प्रस्ताव दिनांक 22.11.2021 के अनुसार ग्राम गनेड़ी, पटवार मण्डल गनेड़ी, तहसील नेछवा जमाबंदी संवत 2076–2079 के आराजी खसरा नम्बर 570 कुल रकबा 1.78 है0 मे से 0.0860 है0 भूमि तथा खसरा नम्बर 572 कुल रकबा 1.15 है0 मे से 0.0400 है0 भूमि रास्ते हेतु दर्ज होकर किस्म परिवर्तित कर उक्त का अंकन संबंधित खातेदार के खाते में राजस्व रिकॉर्ड में पृथक नम्बर दिया जाकर रकबे सहित गैर मुमकिन रास्ते कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने व तदनुसार ही नक्शें में तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये। रिपोर्ट तहसीलदार मय नजरी नक्शा निर्णय के विभिन्न अंग रहेंगे। ऐसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2021 पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2021 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे। जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ. निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2021 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2021 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.11.2021 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर